

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड						
CIN : L67120HR1994PLC034148						
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशालोन इस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम – 122001, हरियाणा						
फोन : + 91-124-4675500, फैक्स : + 91-124-4370985						
ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com						
31/12/2024 को समाप्त तिमाही/नौ माह हेतु अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (पृथक्कृत और समेकित) का विवरण						
क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत			समेकित	
		तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	नौ माह समाप्त	तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त
		31/12/2024 अनंकेक्षित	31/12/2023 अनंकेक्षित	31/12/2024 अनंकेक्षित	31/12/2024 अनंकेक्षित	31/12/2023 अनंकेक्षित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	543.64	28.02	1219.48	973.09	597.76
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद मदों से पूर्व)	(189.78)	(34.40)	195.71	(85.99)	276.45
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	(189.78)	(34.40)	195.71	(85.99)	276.45
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर परचात (अपवाद मदों के बाद)	(169.32)	(25.40)	154.22	(102.88)	157.30
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर परचात) तथा अन्य समावेशी आय (कर परचात) सम्मिलित है]	(1037.78)	1252.91	26.78	(633.15)	1790.26
6.	इक्विटी शेयर पुंजी	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42
7.	संचय (पुनर्मूल्यन संचय छोड़कर जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)	NA	NA	NA	NA	NA
8.	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)					
	मूल :	(1.57)	(0.24)	1.43	(0.96)	1.46
	तनुकृत :	(1.57)	(0.24)	1.43	(0.96)	1.46
नोटस :						
(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए गए तिमाही/नौ माह समाप्त वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.hbportfolio.com पर उपलब्ध है।						
(ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 14 फरवरी, 2025 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।						
(iii) पूर्ण वित्तीय परिणाम देखने के लिए कृपया नीचे दिया क्यूआर कोड स्कैन करें						
						
		कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड हस्ता./- अमित गोयल (प्रबंध निदेशक) DIN: 00001938				
स्थान : गुरुग्राम						
तिथि : 14/02/2025						

एसपीएल इंडस्ट्रीज लि.						
पंजीकृत कार्यालय: 202, दूसरा तल, विक्रमादित्य टॉवर, अलकनंदा, कालकाजी, नई दिल्ली-110019						
ईमेल: cs@spilimited.com CIN : L74899DL1991PLC062744						
प्रबंध सूचीयन विभाग, एनएसई/बीएसई						
31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम						
विवरण	31.12.2024 को समाप्त तिमाही	30.09.2024 को समाप्त तिमाही	31.12.2023 को समाप्त तिमाही	31.12.2024 को समाप्त नौ माह	31.12.2023 को समाप्त नौ माह	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2,973.61	4,298.33	3,403.68	11,831.49	13,875.47	21,094.08
साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों और कर से पूर्व)	144.40	401.52	238.20	922.13	1,017.06	1,609.39
कर पूर्व साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	144.40	401.52	238.20	922.13	1,017.06	1,608.75
कर परचात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	30.15	396.75	185.93	685.25	750.42	1,175.11
कुल समग्र आय (कर परचात लाभ / (हानि) और कर के बाद अन्य समग्र आय शामिल)	30.15	396.75	185.93	685.25	750.42	1,171.92
इक्विटी शेयर पुंजी	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
आरक्षित निधि (पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यान आरक्षित को छोड़कर)						
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों और कर से पूर्व) (रु. 10 /— प्रत्येक के)						
वैशेषिक:	0.50	1.38	0.82	3.18	3.51	5.55
आयव्युटेड:	0.50	1.38	0.82	3.18	3.51	5.55
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों और कर के बाद) (रु. 10 /— प्रत्येक के)						
वैशेषिक:	0.10	1.37	0.64	2.36	2.59	4.05
आयव्युटेड:	0.10	1.37	0.64	2.36	2.59	4.05
नोट :						
1. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षिण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 14 फरवरी, 2025 को आयोजित पुनरी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/नौ माह के लिए परिणामों का सांविधिक लेखापरीक्षकों ने समीक्षा और लेखापरीक्षण किया है।						
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत यथानिर्धारित, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एसए) और लागू सीमा तक मूल्य लेखाकरण कार्यवाहकी और सिद्धांतों के अनुपालन में विवरण तैयार किए गए हैं। कंपनी ने इंड-एसए 01 अप्रैल, 2017 से अपनाया।						
3. निदेशक मंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 फरवरी, 2025 को आयोजित हुई और उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए।						
4. इंड एसए 108 "प्रचालन खंड" के अनुसार कंपनी ने एकल वित्तीय परिणामों के भाग के रूप में केवल खंड सूचना प्रकट की है।						
5. 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी कंपनी ने इंड-एसए 115— ग्राहकों से अनुबंधों से राजस्व को अपनाया। इंड-एसए 115 अपनाए का प्रभाव वित्तीय परिणामों पर नगण्य है।						
6. 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कंपनी ने इंड-एसए 116— लीज अपनाया। इंड-एसए 116 अपनाए का प्रभाव वित्तीय परिणामों पर नगण्य है।						
7. 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही/नौ माह के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।						
8. पूर्व वर्ष/अवधियों के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।						
9. वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप कंपनी की वेबसाइट www.spilimited.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।						
						
		कृते एसपीएल इंडस्ट्रीज लि. हस्ता./- मुकेश कुमार अग्रवाल (प्रबंध निदेशक)				
स्थान : फरीदाबाद						
दिनांक: 14 फरवरी, 2025						

सेवा गृह ऋण लिमिटेड			
कॉर्पोरेट कार्यालय पता : बिल्डिंग नं. 8, टावर सी, आठवीं मंजिल, डीएलएफ सायबर सिटी, गुरुग्राम 122002			
नियम 8(1) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)			
जबकि, अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने सेवा गृह ऋण लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का संपादित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके मांग नोटिस जारी कर, ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार से सूचना प्राप्त दिनांक से 60 दिन के अन्दर ऋण राशि आदा करने की अपेक्षा की गई थी। ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार एवं सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) संपादित उक्त नियम के नियम 8(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।			
विशेष रूप से ऋणी और सामान्य रूप से जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार सेवा गृह ऋण लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें नीचे दी गई बकाया राशि के साथ-साथ ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत शामिल हैं। ऋणी का ध्यान प्रतिभूति आस्तियां के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।			
क्र.	ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम / लोन नं.	बकाया राशि (रु.)	सूचना दिनांक आधिपत्य दिनांक
1.	श्रीमति लता देवी पति श्री अजय सिंह 2. श्री अजय सिंह पिता श्री साहूकर 3. श्री राजवीर सिंह पिता श्री साहूकर सिंह Loan No.: H3GP00005002033	₹ 4,27,511/- (रुपये चार लाख सताईस हजार पांच सौ ग्यारह रुपये मात्र) दि. 31.07.2024 तक	30.08.2024 11.02.2025
			गाटा नं. 506 बी के भाग का प्लॉट, ग्राम झंडीपुर, मंजा सिरमऊ, तहसील खेरागढ़, उत्तर प्रदेश 283124 बंधक की गई संपत्ति भू-खण्ड का क्षेत्रफल 102.0 वर्गमीटर चर्चुसीमार्ग: पूर्व- जमीन बलजीत सिंह, पश्चिम- खरजा 10 फुट चौड़ा, उत्तर- मकान अजय सिंह क्रेता, दक्षिण- जमीन वीरेंद्र सिंह आदि।
स्थान : आगरा			भवदीय – प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 11.02.2025			सेवा गृह ऋण लिमिटेड

एमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड						
18, पूसा रोड, पहली मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005						
CIN:L28122DL1983PLC017141						
वेबसाइट: www.amdindustries.com , ईमेल: Investor@amdindustries.com						
31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखित वित्तीय परिणामों का सार						
(अति शेयर डेटा को छोड़कर रुपये लाखों में)						
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31 दिसं. 2024 (अनअंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30 सितं. 2024 (अनअंकेक्षित)	31 दिसं. 2023 (अनअंकेक्षित)	31 दिसं. 2024 (अनअंकेक्षित)	31 दिसं. 2023 (अनअंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	4,490.90	5,389.19	4,116.52	19,427.90	20,281.96
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर तथा असाधारण मदों से पूर्व)	(239.78)	(143.64)	(161.28)	117.13	(228.60)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(239.78)	(143.64)	(161.28)	117.13	(228.60)
4.	कर तथा असाधारण मदों के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	(169.15)	(110.53)	(122.96)	95.63	(176.29)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (इस अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ / (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(168.85)	(111.15)	(128.13)	98.71	(177.37)
6.	इक्विटी शेयर पुंजी	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10 /— प्रति का) (क) मूल (रु.): (ख) परल (रु.):	(0.88)	(0.58)	(0.64)	0.50	(0.92)
		(0.88)	(0.58)	(0.64)	0.50	(0.92)
टिप्पणी:						
1. उपरोक्त अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थे, जिसकी लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई तथा 13 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। वैधानिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में दाखिल की जा रही है।						
2. उपरोक्त सभी वित्तीयकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। पूर्ण सांविधिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट www.amdindustries.com के निवेशक अनुभाग के तहत तथा www.bseindia.com तथा www.nseindia.com के कॉर्पोरेट अनुभाग में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध है।						
						
		एमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हस्ता./- अमित गुप्ता प्रबंध निदेशक DIN: 00238784				
स्थान: नई दिल्ली						
तिथि: 13.02.2025						



Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703

Website: homefirstindia.com

Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

कब्जा सूचना

संदर्भ: प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे दी संबंधित तारीखों को जारी मांग सूचना के अनुसार में अधोलिखित आप/कर्जदारों को संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति से 60 दिनों के अंदर बकाया देयों का भुगतान करने के लिए कहा। आप/सभी कर्जदार, हालांकि, निर्धारित समय अवधि में उक्त बकाया देयों को भुगतान करने में असफल रहे, इसलिए, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड ने सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा(4) के प्राधानों के तहत प्रदत्त अधिकार रखते हुए और प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा ले लिया है:

क्र. सं.	कर्जदारों/ सह-कर्जदारों/ जमानतियों के नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख बकाया राशि (रु. में)	कब्जे की तारीख
1.	बाबू लाल सैनी, मरत कुमार सैनी	प्लॉट नं.-6, स्क्रीम श्याम विहार, जोधपुरा, तहसील चोमू, जयपुर, राजस्थान-303702 सीमाएं— पूर्व— अन्य जमीन, पश्चिम— रोड 30', उत्तर— प्लॉट नं.-7, दक्षिण— प्लॉट नं.-5	03-12-2024	10,80,917	13-02-2025
2.	रजनी देवी, कैलाश चंद्र वर्मा	फ्लैट-बी 3, प्रथम तल, प्लॉट नं. एफ 20 व 21 साईं उपवन, खसरा नं. 156ए, 156ए, 153ए, 153बी, 154ए, 156बी, 157बी, गॉव यूसुफपुर, चक्राहाबरे, परगना व तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा-201301	03-06-2023	10,25,869	12-02-2025

कर्जदार द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार/जमानती और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का उपरोक्त तारीख को कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से कर्जदारों/जमानतियों और सामान्य रूप से सर्व साधारण को संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों या इसके किसी भाग से कोई लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कोई भी लेनदेन संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के लिए नहीं कर उल्लिखित राशि जो पूर्ण भुगतान तक आगे की ब्याज सहित भुगतान है, के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
प्रत्याभूत परिसंपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (४) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

स्थान: एनसीआर, राजस्थान
दिनांक: 15.02.2025

प्राधिकृत अधिकारी,

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड